न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
01/2020	10/09/2020	

भवानीशंकर आयु 36 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल जाति मीणा निवासी रामपुरिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार पीपल्दा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री जितेन्द्र शर्मा एड0।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र ग्राम रामपुरा तहसील पीपल्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 की खाता संख्या 137 में खसरा संख्या 116/692 रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि आगे वाद पत्र मे विवादित भूमि से संबोधित की गई है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख मे त्रुटिवश सहवन से वादी का नाम भवानीशंकर के स्थान पर भगवती प्रसाद दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का राजकीय नाम भवानीशंकर ही है। विवादित भूमि पर वादी स्वयं शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। तमाम राजकीय अभिलेखो व दस्तावेजो मे वादी का नाम भवानीशंकर दर्ज होने तथा राजस्व अभिलेख मे भगवती प्रसाद अंकित होने से वादी को कई प्रकार की भारी समस्याओं का सामना करना पडता है। इस त्रुटि के कारण वादी राजकीय कृषक कल्याण योजनाओ का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाते है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी से निवेदन किया तो उन्होने भी वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने हेतु ही कहा। इस परिस्थिति मे वादी के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है। वाद कारण अंतिम बार दिनांक 9/10/2019 को प्रतिवादी द्वारा वाद में वर्णित त्रुटि को सुधारने में असर्मथता प्रगट करने एवम् वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने हेतु कहने पर उत्पन्न हुआ। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस आशय का निर्णय एवम् डिक्री पारित करने की कृपा करें कि वाद पत्र मे वर्णित विवादित भूमि में अंकित वादी का नाम भगवती प्रसाद के स्थान पर भवानीशंकर दर्ज कर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री जितेन्द्र शर्मा एड0 ने पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। जवाब सरकार प्राप्त जवाब सरकार के अनुसार वतर्ममान जमाबन्दी भगवती प्रसाद पुत्र हजारीलाल जाति मीना सा0 रामपुरा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी मौका पर्चा अनुसार भंवानीशंकर पुत्र हजारीलाल को बचपन से ही भवानीशंकर पुत्र हजारीलाल के नाम से पहचाना गया है, कोई अन्य नाम नहीं बताया गया है। अतः भगवती प्रसाद एवं भवानीशंकर एक ही नाम होना प्रतीत नहीं होता है। इस कारण भगवती प्रसाद के स्थान पर भवानीशंकर नाम शुद्ध किया जाना उचित नहीं है तथा वादी द्वारा वाद दायर वर्ष 2019 में स्वयं की उर्म 36 वर्ष बतायी गई है जबकि वादी के नाम

से कृषि भूमि संवत 2041–60 वाली सेटलमेंट जमाबन्दी में भी दर्ज है जो लगभग 45 वर्ष पूर्व बनी है।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व जवाब सरकार का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी भंवानीशंकर पुत्र हजारीलाल को बचपन से ही भवानीशंकर पुत्र हजारीलाल के नाम से पहचाना गया है, कोई अन्य नाम नहीं बताया गया है। अतः भगवती प्रसाद एवं भवानीशंकर एक ही नाम होना प्रतीत नहीं होता है। इस कारण भगवती प्रसाद के स्थान पर भवानीशंकर नाम शुद्ध किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा